10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

80

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग. 3638-I/2015

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला जबलपुर

हरप्रसाद गौड पिता स्व. श्री छोटेलाल गौड
निवासी मकान नं. 110, सिवनी टोला
तहसील व जिला जबलपुर ---- आवेदक

विरूद्ध

1- श्री राकेश अवस्थी पिता श्री शिवरतन अवस्थी
निवासी 1591 गंगानगर मड़फैया गढ़ा वार्ड
तहसील व जिला जबलपुर

2- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ---- अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 427/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 19-10-15 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत निगरानी ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम मुकनवारा प0ह0नं0 33 रा0 नि0 मं0 बरगी तहसील व जिला जबलपुर में भूमि खसरा नं0 136/1 रकबा 0.450 हैक्टर स्थित है । उक्त भूमि के अतिरिक्त आवेदक के स्वतंत्र मालिक की ग्राम नानाखेड़ा में 6.625 एकड़ भूमि और भी है । ग्राम मुकनवारा स्थित भूमि सर्वे नं. 136/1 0.450 के असिंचित होने एवं कम उपजाऊ होने से आवेदक ने उक्त भूमि को विक्रय करना उचित समझा और क्रेता अनावेदक क्रमांक 1 से विक्रय अनुबंध किया जाकर ब्याना प्राप्त कर लिया है, ऐसी स्थिति में उसे भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये । किंतु अधीनस्थ

हरप्रसाद

R 3638-I/15 (जबलपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
15—3—16	आवेदक की ओर से अभिभाषक धमेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक क. 2 शासन की ओर से अभि. श्री अनिल श्रीवास्तव उपस्थित । 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण नोट—प्रेस में समाप्त करने का अनुरोध किया । शासकीय अभि. को कोई आपत्ति नहीं है । अतः प्रकरण आवेदक अभि. के अनुरोध पर समाप्त किया जाता है । सदस्य	15/3/2016

शाक्षमुग्वा—320—फॉर्म्स—21-9-12—5,000 प्रपत्र.